नागालैंड विधानसभा में महिलाप्रतिनिधित्व: एक अध्ययन

(Representation of Women inNagaland Assembly: A Study)

लक्ष्मी
शोधार्थी
राजनितिक विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

सारांश

यदि भारतीय संदर्भ में महिला प्रतिनिधि की बात करे तो , स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत प्रतिनिधि संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि बनाये जाने तथा मार्जिनलाइज्ड वर्गों में खासकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने से संबंधित वाद विवाद का भारत साक्षी हैं।- प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के ऐतिहासिक काल से ही भारत में प्रतिनिधित्व का प्रश्न विवादास्पद व महत्वपूर्ण रहा हैं। गौरतलब हैं कि उनके स्वरूपों में समय व परिस्थिति के साथ परिवर्तन आया है क्योंकि अब केवल हम प्रतिनिधित्व के सैद्धान्तिक प्रश्नों की ही बात नहीं करते बल्कि प्रतिनिधित्व को वास्तविक कैसे बनाया जाए , इसकी भी बात करते हैं। मैंने अपने लेख में पूर्वोतर भारत के नागालैंड राज्य विधान सभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मैंने इस लेख के अंतर्गत निम्न प्रश्नो पर प्रकाश डालाहै क्या पूर्वोतर भारत की सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिपाटियाँ महिलाओं को प्रतिनिधि निकायों में जाने से रोकती हैं ?क्या प्रथागत कानून नागालैंड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता रहा है ?और किस कार णवश आज भी विधान निकाय में उनका प्रतिनिधित्व शून्य रहा हैं।

मूल शब्द:-प्रतिनिधित्व, राज्य विधान सभा ,नागालैंड, महिला,राजनीतिकदल, संघवाद, पूर्वोतरभारत, सांस्कृतिक, नीति निर्माण-, असंतुलितप्रावधान, असंतुलित संघवाद, राजनीतिक दल

भूमिका

लोकतंत्र शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने सामाजिक समुदायों के लिए नीति-निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वास्तव में यह नीति निर्माण की प्रक्रिया समाज के समस्त सदस्यों की सामान्य सहभागिता पर आधारित होती हैं। परन्तु क्या विधि निकायों में सभी वर्गों को सम्मलित करने की भावना निहित होती हैं ? भारत ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशों की तरफ दृष्टिपात किया जाएँ तो महिला प्रतिनिधि की विधान निकायों में भूमिका समान प्रतिनिधित्व को नहीं दर्शाती प्रतीत होती हैं जोकि काफी सोचनीय विषय रहा हैं। जहां राजनीतिक संस्थाओं का प्रश्न है महिलाएं वैश्विक स्तर पर मतदाताओं की लगभग आधी आबादी का हिस्सा है लेकिन केवल इनमें 18 फीसदी महिलाएं ही सांसद है। नार्डिक देशों में 41 प्रतिशत ,पश्चिमी देशों में 21.8, अन्य यूरोपीय देशों में यह आकड़ा 19.1 प्रतिशत है तथा भारत की राष्ट्रीय विधायिका में 11.8 प्रतिशत व राज्य विधानसभाओं में लगभग 9 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति विद्यमान हैं। इस प्रकार हाल ही के वर्षों में , राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी ने नागरिक समाज , समूहों, सरकारों और शोधकर्ताओं के बीच बहुत रूचि पैदा की हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिला प्रतिनिधि की विधान निकायों में नगण्य भूमिका चर्चा का विषय रहा है। विशेष रूप से 1995 के बीजिंग सम्मेलन के बाद से निर्णय लेने वाले निकायों में अधिक लिंग समानता के पक्ष में कार्यकताओं ने महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरु किए हैं , जिसमें चुनावों में महिला उम्मीदवारों की आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए ख़ाका तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं। इस प्रकार चूँकि महिला ,समाज के विभिन्न क्रियाकलापों जैसेकि आर्थिक , सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी विशेष भूमिका अदा करती हैं , फिर भी दुर्भाग्यवश महिलाओं की भूमिका को नजरअंदाज किया जाता रहा हैं तथा संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के बाद भी उनकी स्थिति नितांत उपेक्षित या कहिये हाशिये पर रही हैं। अतः महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता हैं कि नीति-निर्माण प्रक्रिया के स्तर पर उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूप से अधिक से अधिक हो ताकि स्वंय को प्रभावित कर सकने वाली योजनाओं व नीतियों को अपने अनुरूप निर्मित करवाने के लिए महिला सत्ता के गलियारों में अपनी पैठ बना सकें। आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में शासन के तीनों अंग अर्थात व्यवस्थापिका , कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अपनी-अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं , परन्तु शासन के इन अगों में व्यवस्थापिका अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में विद्यमान इसलिए हैं , क्योंकि जब तक इस संस्था द्वारा किसी कानून का निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक ना तो कार्यपालिका नीति क्रियान्वयन का कार्य कर सकती हैं और ना ही न्यायपालिका उसकी व्याख्या कर पायेगी। साथ ही मानव अधिकारों की संकल्पना में भी यह सुनिश्चित किया गया हैं कि संपूर्ण जनसंख्या के प्रत्येक अंश को अपनी मांगों को पेश करने का समान अवसर होना चाहिए। क्या इसके लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि सभी तबकों , को प्रतिनिधि निकाय में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ? लेकिन क्या यह संभव हो

पाया हैं? विशेष रूप से भारत में विधायी निकायों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में कमी के कारणों पर हमारा ध्यान बदलने से पहले , हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व के पक्ष में तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले , मानवाधिकार स्थितियों के आगे महिलाओं का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। एक वास्तविक लोकतंत्र वह है जहां जनसंख्या के सभी वर्गों को अपनी मांगें पेश करने का मौका मिलता है। यदि लोकतंत्र को जीवंत बनाये रखना है, तो यह आवश्यक है कि महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर शामिल किये जाने की जरूरत है। "भारत ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा मानवाधिकार तंत्रों का अनुसमर्थन भी किया है , इनमें वर्ष 1993 में महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन का अनुसमर्थन प्रमुख है"। 1952 में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस तथ्य को एक बार फिर महसूस किया गया था। इसे मेक्सिको में विश्व योजना (1975) , कोपेनहेगन योजना (1980), नैरोबी (1985) में संयुक्त राष्ट्र के दशक में विश्व सम्मेलन और बीजिंग में महिलाओं की विश्व कांग्रेस (1995) के दौरान इसे दोहराया गया है। दूसरा , राजनीति में खेल के मौजूदा नियमों को बदलने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। अधिकांश देशों में राजनीति , भ्रष्टाचार और मांसपेशियों की शक्ति के गंदे क्षेत्र के रूप में देखी जाती है। यह मुख्य रूप से 'प्रतिस्पर्धा और टकराव ' के साथ-साथ 'जीतने और हारने ' जैसे क्रियाविधि के रूप में माना जाता है। महिलाओं के पास 'सहयोग और समन्वय' और 'समझौता' के मूल्यों को बढ़ावा देकर परिवर्तन लाने की क्षमता है। आखिरकार , अपने दैनिक जीवन में, ये वे मूल्य हैं जो महिलाएं परिवारों और समाजों को बरकरार रखने के लिए अभ्यास करती हैं। संसदीय ढांचे में महिलाओं को शामिल करने से शासन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कौशल , लैंगिक विशेषताओं और न्यायपरक दृष्टिकोण ला सकते हैं। तीसरा , चूंकि संसद लोकतांत्रिक राज्य में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संरचना है , इसलिए महिलाओं के समावेश में महिलाओं के विभिन्न अभिव्यक्तियों में सामाजिक अधीनता को गंभीर चुनौती देने की क्षमता है। महिला सांसद के एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान लिंग-संवेदनशील समाज को लिंग-संवेदनशील व्यक्ति के रूप में ले जा सकते हैं। जबकि अक्सर महिलाओं और पुरुषों के सांसदों द्वारा उद्धृत किया जाता है कि समाज की प्रगति के लिए लिंग समानता बहुत जरूरी है , बहुत कम लोग वास्तव में इसके लिए कदम उठाते हैं। एक महत्वपूर्ण मामला भारतीय संसद में महिला आरक्षण बिल है जिसे महिलाओं के नेटवर्क की मांगों के बावजूद 1996 से बार-बार ढक दिया गया है , जिसमें महिलाओं के लिए सशक्त परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाने की मजबूत क्षमता है।

चूँकि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चलाते हैं , इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता हैं कि प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व कौन करता हैं? विधायी निकायों के लिए नागरिकों की विविध आवाजों को प्रतिबिंबित करना आवश्यक है मुख्यधारा के साथ-साथ शोषित , दूसरे शब्दों में, एक सफल लोकतंत्र के लिए समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आवश्यक हैं। उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक व प्रतिनिधित्व पर बल देता है , यह प्रतिनिधित्व को इस आधार पर आकंता है कि जनसमुदाय की मांगों तथा इच्छाओं को किस सीमा तक प्रकट किया जाता है। यह लोकतंत्र में पुरुषों की तरह ही महिलाओं के लिए समान प्रतिनिधित्व तथा उपेक्षित व वंचित वर्गो की राजनीति में भागीदारी की मांग करते है।

भारतीय संदर्भ में विशेष तौर पर उत्तर पूर्व राज्यों में जहाँ महिलाएं अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा स्वंतत्र हैं , आर्थिक क्षेत्र व अपना जीवनसाथी इत्यादि चुनने में फिर क्या कारण रहे हैं कि उनकी स्थिति राजनीतिक क्षेत्र में निम्न प्रतिनिधित्व दायरे को समेटे हुई प्रतीत होती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध भारत के सर्वाधिक पूर्वी क्षेत्रों से हैं , जिसमें मुख्यतः 'सेवन सिस्टर' (नागालैण्ड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर) के साथ-साथ सिक्किम और उत्तरी बंगाल के कुछ भाग जैसे कि दार्जिलिंग , जलपाईगुड़ी तथा कूच विहार के जिले शामिल हैं , जो अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टि से अन्य भारतीय राज्यों की अपेक्षा अलग पहचान रखते हैं। परन्तु मैंने वर्त्तमान समय में उसकी प्रासंगिकताओं को ध्यान में रखकर , अपने लेख को नागालैंड तक सीमित रखा हैं। नागालैंड राज्य को चुनने के पीछे मुख्यतःयह उद्देश्य निहित हैं कि नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था और हैरान करने वाला तथ्य यह हैं कि इन 55 वर्षों में वहाँ एक भी महिला विधायक विधानसभा में नहीं पहुंची। 60 सदस्यों वाली विधानसभा निकाय में एक भी महिला का नहीं होना लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवाल हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है उत्तरी पूर्वी राज्यों में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा कई मामलों में ज्यादा स्वतंत्र है फिर ऐसे क्या कारण विद्यमान रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में निर्णय लेने वाली विधान निकायों में उनकी स्थिति समान प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने में असफल रही हैं। इसके पीछे के ऐतिहासिक कारणों को जानने की आवश्यकता हैं भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया हैं जहाँ केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया हैं व असंतुलित संघवाद की धारणा भी विद्यमान हैं। संतुलित संघवाद के अंतर्गत सभी राज्य इकाईयों से एक समान व्यवहार किया जाता हैं जबकि असंतुलित संघवाद के अंतर्गत संविधान में कुछ राज्य इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने के लिए संघ लचीला तरीका अपनाता हैं। चूँकि भारत विविधताओं वाला देश है जहां विभिन्न जनजातियां व कई स्थानीय जनसमुदायों की अपनी अलग संस्कृति व परंपरागत कानून तथा रीति-रिवाज होने के कारण यह समुदाय अपने आप को भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप चलाने में असक्षम रहें जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय आकांक्षाएं , स्वायतता व हिंसक तथा उग्र आन्दोलन की परिस्थितियाँ विद्यमान होने लगी जिसके लिए नीतियां व विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। जोकि नागालैंड के संदर्भ में देखें जा सकते हैं। भारत में असंतुलित प्रावधानों को राजनीतिक व संवैधानिक दो भागों में बांटकर देखा जा सकता हैं , संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 A में नागालैंड विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया हैं। इन विशेष प्रावधानों को प्रदान करने का उद्देश्य इन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना या इन राज्यों के कुछ अशांत इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थापना करना या इन स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना हैं। यह इस प्रकार वर्णित हैं:-

अनुच्छेद 371 A:-इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया हैं। इस प्रावधान में यह वर्णित है कि संसद द्वारा कुछ मामलों के संबंधों में बनाया गया कानून राज्य में तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन न करें यह निम्न है :- "नागाओं की सामाजिक या धार्मिक प्रथाएँ , नागा पारंपरिक विधि और प्रक्रिया , सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन , जहाँ नागा पारंपरिक विधियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं ,भूमि और उसके स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण "[1] ।इस अनुच्छेद के तहत नागालैंड के राज्यपाल को विशेष शक्ति या प्रवाधानों का वर्णन किया गया हैं।

संविधान की छठी अनुसूची:- संविधान की छठी अनुसूची में चार उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय , त्रिपुरा, मिजोरम व असम के प्रशासन के संबंध में उपबन्ध हैं। इन राज्यों के लिए विशेष प्रवाधानों के पीछे कुछ कारण निहित हैं जोकि निम्न हैं:- इन राज्यों की जनजातियाँ , इन राज्यों के अन्य जनसमुदाय की जीवनचर्या में समाहित नहीं हो पायी हैं। जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों के लोगों ने अपने आप को बहुसंख्यक की संस्कृति में कम या ज्यादा समाहित कर लिया हैं परन्तु उत्तर पूर्व के इन राज्यों (जिनका छठी अनुसूची में उल्लेख है) के लोग अभी भी अपनी संस्कृति , रीति-रिवाजों व सभ्यता से जुड़ें हैं , इसलिए इन क्षेत्रों के लोगों के पारंपरिक कानून व रीति- रिवाजों को ध्यान में रखते हुए संविधान द्वारा इन्हें अलग स्थान दिया गया हैं और स्वशासन में भी इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई हैं[2]।

इन प्रावधानों द्वारा नागालैंड राज्य की जनजातियों व जनसमुदाय के लिए कई मामलों में स्वंतत्र परिस्थितियां तो उत्पन्न की , परन्तु यह महिला समुदाय के सकारात्मक पक्ष में नहीं रखा , बल्कि इन प्रावधानों ने पहले से व्याप्त पितृसत्तात्मक जड़ों को मजबूती प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाई तथा भू मलिकाना व सार्वजनिक निर्णय-निर्माण व विधान निकायों में महिलाओं की स्थिति को नगण्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नागालैंड की विधान निकाय में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

पूर्वोतर भारत के राज्यों में निरंतर चली आ रही समस्याओं को समझने के लिए दो मुख्य धाराएं है जिसके आधार पर उनका आकलन किया जाता हैं। पहली धारा, आधुनिकीकरण /विकास तथा 'राष्ट्र-राज्य निर्माण ' दृष्टिकोण है। जिसके समर्थक- एस.के.चौबे , बी.पी. सिंह, बी.जी.बर्गीज, मायरन वीनर आदि का मानना है कि यहाँ की समस्याएँ मुख्यतौर पर आधुनिकीकरण से लेकर लोकतंत्र की अवस्था के साथ जुड़ी हुई है , जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पुरा करने में असमर्थ रही हैं। वहीं दूसरी धारा , 'संघ-निर्माण' दृष्टिकोण है जिसके समर्थक- संजीव बरुआ, उदीपन शर्मा, संजय हजारिका, सजल नाग, एम. पी.बेजबरुआ आदि का मानना है कि , 'राष्ट्रीय नेतृत्व ने "राष्ट्र-निर्माण" हेतु अपने अन्वेषण में इस क्षेत्र की आम जनसमुदाय की आकांक्षाओं व मांगों वाले पहलु को अनदेखा किया, इसलिए इन क्षेत्रों में स्वायत्तता आन्दोलन, नृजातीय संघर्ष, उपद्रव आदि समस्याएँ बनी हुई है।

उपर्युक्त दोनों ही धाराओं व दृष्टिकोण में सबसे बड़ी समस्या या कमियां यह रही है कि दोनों ने ही महिलाओं से संबधित पहलुओं को नजरअंदाज किया है, अर्थात् लैंगिक समस्याओं को अन्य समस्याओं की अपेक्षा दूसरे स्थान पर रखा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के अंतर्गत नारीवादी विचारों को रखने वाली जे.एन.टिकनर ने यह स्पष्ट किया है कि सिद्धांतों व निर्णय-निर्माण संस्थाओं में यदि महिलाओं के गुणों व भूमिकाओं को शामिल कर लिया जाए तो परस्पर देशों के प्रति शांति, सहयोग व सदभाव की स्थिति लायी जा सकती हैं।

पूर्वोतर भारत, भारत के बाकी हिस्सों से अलग इसलिए जाना जाता है क्योकिं यहाँ प्राय संघर्ष की स्थिति विद्यमान होती है। इस क्षेत्र की अधिकांश जनजाति अपने नागरिक मामलों को अपने समुदाय आधारित परंपरागत कानून के अनुसार चलाते है। उदाहरण के लिए छठी अनुसूची एक सुरक्षात्मक उपाय होने के लिए था, लेकिन यह हमेशा सभी समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं के पक्ष में नहीं चला हैं। महिलाओं द्वारा नेतृत्व हमेशा पूर्वोत्तर भारत में एक तथ्य रहा है। यह ऐसी महिलाएं हैं जो गांव में अच्छी कृषि केलिए सुझाव रखती हैं , परिवार के भीतर हर महत्वपूर्ण निर्णय में उनका परामर्श लिया जाता है लेकिन परिवार के बाहर उनका नेतृत्व अभी तक नहीं हुआ है। शिलांग पत्रकार लिंडा छचचुआक कहते हैं , "ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरुष सामाजिक और राजनीतिक जगह को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए आदिवासी संस्थानों से महिलाओं को बाहर रखना चाहते हैं।

लोकसभा प्रसारण के एक कार्यक्रम में पूर्वोतर जनजातियों से रू-ब-रू होते हुए वार्तालाप में अरुणाचल प्रदेश की 'आपनीति' जनजाति के पुरुष व महिला से जब यह पूछा गया कि राजनीति व नीति-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की स्थिति नगण्य क्यों है ? तो उनका मत यह था कि हम अपने सदियों से चले आ रहे रीति-रिवाजों व परंपरागत कानून व संस्कृति के माध्यम से आज भी संचालित होते है , हमारे जीवन के विभिन्न पहलु इन्हीं रूढिगत कानूनों से संचालित होते है तथा महिला व पुरुष के मध्य कार्यों का वितरण किया गया है कि महिलाएं घर के कार्य व उनसे जुड़े कार्यों जैसेकि कृषि , घरेलू इत्यादि संभालेगी तथा पुरुष बाहर के कार्य करेगें जैसेकि सार्वजनिक संस्थानों में निर्णय लेना इत्यादि । इस प्रकार पूर्वोतर राज्यों में पितृसत्तात्मक समाज की गहरी जड़े विद्यमान प्रतीत होती दिखलाई पड़ती है।

पूर्वोतर राज्यों के नागालैंड राज्य जोकि मैंने अपने लेख शोध के लिए चुना है, में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर ध्यान केन्द्रित करना चाहूँगी। नागालैंड के, नागा समाज में पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यों में गहराई से जुड़ा हुआ है तथा सामाजिक और राजनीति में महिलाओं को उनकी सही जगह देने में यह असक्षम रहा है। नागा महिलाएं अभी भी शहरी निकायों में प्रतिनिधित्व करने के अपने अधिकार के लिए लड़ रही है लेकिन वे उन लोगों से कड़े प्रतिरोध

का सामना कर रही है जिन्होनें सामाजिक , राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक में कई सालों से अपना वर्चस्व बना रखा हैं। इस प्रकार परपंरागत कानूनों के कारण, नागालैंड में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पूरी तरह से निराशाजनक हैं। साथ ही राजनीतिक व क्षेत्रीय दलों की महिला उम्मीदवार को लेकर उदासीनता भी एक अन्य कारण रहा हैं। भारतीय संविधान में महिला व पुरुष दोनों को ही समान राजनीतिक अधिकार दिए गए है लेकिन संसद व विधान निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम रहा है जोकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व व भागीदारी में हाशिये को दिखता है।

नागालैंड विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व

चुनावी वर्ष	कुल सीट	कुल उम्मीदवारों की संख्या			महिला/ पुरुष उम्मीदवारों के मध्य अंतर (%) में
		पुरुष उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार	निर्वाचित महिला	
1969	40	142	2	0	1.40
1974	60	219	-	-	-
1977	60	201	-	-	-
1982	60	245	-	-	-
1987	60	214	3	0	1.40
1988-89	60	140	-	-	-
1993	60	177	1	0	0.56
2003	60	222	3	0	1.35
2008	60	214	4	0	1.87
2013	60	186	2	0	1.07
2018	60	190	5	0	1.93

स्त्रोत: रिपोर्ट ऑन द जनरल इलेक्शनस् टू नागालैंड असेम्बली, (1969-2018)

इन तथ्यों के आधार पर नागालैंड में महिला प्रतिनिधित्व की व्यावहारिकता को चिन्हित किया जा सकता हैंजैसाकि **LianboiVaiphei**ने अपने लेखमें भी उल्लेख किया हैकि "Naga women fighting for politicalrepresentation in the Northeast"केअंतर्गतयहस्पष्टकरतेहैंकिमहिलाओंकीयहस्थितिनागासमाजमेंलिंगसमानताकी एक लोकप्रिय धारणा के विपरीत है। नागा महिलाओं को अक्सर शिक्षित, मेहनती और स्वतंत्र जीविकोपार्जन करने वाली के रूप में चित्रित किया जाता है , और उनकी उद्यमी भावना के लिए प्रशंसा की जाती है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागालैंड और नागा समाज की प्रशंसा भी की गई है। इसके अलावा उनका तर्क हैं कि भारत में हो रहे महिलाओं के साथ बलात्कार और अपराध की दरें भी अन्य इलाकों की अपेक्षा नागालैंड में कम हैं , लेकिन सुरक्षा की प्रकाष्ठता समानता को स्थापित नहीं कर सकती है। नागा समाज भी गहराई से पितृसत्तात्मक है , और ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है खासकरपुरुषों द्वारा। लेकिन नागा समाज का पारंपरिक कानून स्पष्ट रूप से लिंग भूमिकाओं को अलग करता है और उनके द्वारा की जानेवाली गतिविधियों के साथ जिम्मेदारियों को भी जोड़ा गया हैं। मिसाल के तौर पर , महिलाएं घरेलू मुद्दों , जैसे कि परिवार और इससे संबंधित मामलों की प्रभारी होती हैं जबकि पुरुष समाज के साथ सौदा करता है , जिसमें गांव प्रशासन और परिषद् शामिल हैं , इसलिए महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है , अर्थात उन्हें पारंपरिक तौर पर अनुमति नहीं है। गांव परिषद जो गांव प्रबंधन की निगरानी करते हैं , और "गांव विकास बोर्ड "छोटे स्थानीय संस्थान जो आर्थिक परियोजनाओं को नियंत्रित करते हैं आदि में महिलाओं के लिए 25%सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन वह कोटा केवल कागज पर मौजूद है हकीकत में , पारंपरिक मानदंड प्रबल होते हैं इसलिए तथ्यात्मक तौर भी अपने इतिहास में , नागालैंड में केवल एक ही महिला प्रतिनिधि 1970 के दशक में विधान सभा के सदस्य (राज्य विधानसभा) के रूप में चुनी गई।

नागालैंड की राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति शून्य हैं। नागा संस्कृति व रीति-रिवाज कानून में महिलाओं को भू- मालिकाना हक़ से वंचित रहना पड़ता हैं।**Moamenlaamer**ने अपने लेख " Political status of women in nagaland" में वर्णित किया हैं कि नागालैंड में राजनीतिक दल पुरुष वर्चस्व वाले प्रतीत होते हैं। उन्होंनें चुनावी सूचियों पर उम्मीदवार के माध्यम से या दल के बाहर या भीतर , महिलाओं द्वारा राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे को वास्तव मे नहीं उठाया है। यह पार्टी नेतृत्व में महिलाओं की कुल अनुपस्थिति से प्रतिबिंबित होता हैं और इस तरह यह राजनीतिक दलों के फैसले पर भी प्रभाव डालता हैं।

निष्कर्ष

भारत के संविधान ने महिलाओं को हर तरह से पुरुषों के साथ बराबरी पर रखा है। यद्यपि महिलाएं सामाजिक जीवन में प्रमुख स्थान पर हैं और कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में सभी स्तरों पर निर्णय लेने में उनकी राजनीतिक भागीदारी उनके आकार के अनुपात में बहुत सीमित है। स्वतंत्रता के बाद से सक्रिय राजनीतिक जीवन में भारतीय महिलाओं का उदय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी का परिणाम है। गांधीजी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व किया , जिन्होंने महिलाओं के उस कारण का समर्थन किया और ईमानदारी से महसूस किया कि महिलाओं को पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए , जो महत्वपूर्ण नई भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त थीं। परंतु आज तक महिलाओं को दूसरे दर्जे का ही स्थान प्राप्त हुआ है जिसे हम नागालैंड के सदर्भ में स्पष्टतादेख सकते है कि आज तकभी कोई महिला विधानमंडल के लिए निर्वाचित नहीं हुई है।

Reference

- **रिपोर्ट ऑन द जनरल इलेक्शनस् टू नागालैंड असेम्बली**
- Mill, J. S. (1975) “Considerations on Representative Government” in J S Mill, Three Essays, Oxford University Press, New York
- Saxena, Rekha. (2012) 'Is India a case of asymmetrical federalism' econimic and politically weekly vol.47
- Sikkim and the Seven Sisters (1996) " *Encyclopaedia and Her States"* Volume 9, ed. Verinder Grover and Ranjan Arora, Published by Deep and Deep Publication, F-159, Rajouri Gander, New Delhi- 110027
- Stockermer, Daniel (2017) The proportion of women in legislatures and Cabinets:what is the empirical link? Volume 49,number 3 Polity The journal of the northeastern political science association.
- Watts, Ronald. (2008)' comparing federal system' third edition mc gill queen university press.
- Vaiphei,Lianboi.(2017) *‘Naga women fighting for political representation in the North east’,The Conversation.*